Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to regularise the services of Shiksha Mitra in Uttar Pradesh.

श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख) ः सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 1.78 लाख शिक्षामित्रों की सहायक अध्यापक के रूप नियमितीकरण को सिरे से गैरकानूनी ठहारा दिया और साथ ही भारी राहत देते हुए उन्हें तत्काल हटाने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शिक्षामित्रों को शिक्षक भर्ती की औपारिक परीक्षा में बैठना होगा और उन्हें लगातार दो प्रयासों में यह परीक्षा पास करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश के पौने दो लाख शिक्षा मित्र मायूस हैं। अब उनकी निगाहें सरकार पर हैं कि उनके लिए क्या राह निकलती है।

मेरी सरकार से प्रार्थना है कि शिक्षामित्रों को कानून बनाकर उनका नियमितीकरण करें। मेरी सरकार से मांग है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक उनको एक निश्चित मानदेय दिया जाए जिससे इन लोगों के परिवार पर कोई आर्थिक संकट ना आ पाए।